

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(147)नवि/2008 पार्ट-I (02594)

जयपुर, दिनांक:

आदेश

टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किये जाने के संबंध में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय दूरसंचार अधिनियम-2023 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 और भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम-2022 को अधिक्रमित करते हुए दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 दिनांक 17.09.2024 को अधिसूचित किये गये हैं, जो कि दिनांक 01.01.2025 से प्रवृत्त होंगे।

राज्य में टेलिकॉम सेवाओं हेतु जारी आदेश दिनांक 06.02.2017 व पुनः दिनांक 13.01.2023(संशोधित) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 के अन्तर्गत ही जारी किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी नियमों के अधिक्रमण नवीन दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 दिनांक 01.01.2025 से लागू किये जा रहे हैं। जिसके दृष्टिगत राज्य में प्रचलित आदेश दिनांक 06.02.2017, 13.01.2023 व इन आदेशों में समय-समय पर किये गये संशोधनों को भी दिनांक 01.01.2025 से अधिक्रमित करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 को राज्य में दिनांक 01.01.2025 से लागू किया जाता है।

आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. शासन उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/ जोधपुर /अजमेर /कोटा/उदयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/ जोधपुर /अजमेर/कोटा/उदयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त-----।
9. टावर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, II & III फ्लोर, भाई वीरसिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली।
10. मैसर्स इण्डस टावर लि., डी-34, सुभाष मार्ग, जी-बिजनेस पार्क, तृतीय तल, सी-स्कीम, जयपुर।
11. श्री मुकेश अरोड़ा, तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

शासन उप सचिव-प्रथम
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :11-12-2024 03:49:28